2010/00023

मिसल नं0 20/2010 (प्रा0 पत्र आवंटन निरस्तीकरण) सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा बनाम किशनलाल पुत्र देवा (मृतक) कथित कायम मुकाम डालूलाल पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा (मृतक)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-12-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी व वकील अप्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान कृषि प्रयोंजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) मे जिला कलक्टर (उपनिवेशन) कोटा के आदेश दिनांक 12.06.97 से आवंटित भूमि खसरा नं0 67 रकबा 1 बीधा 15 बिस्वा जिसका हाल खं0 नं0 349 रकबा 0.25 हैक्टर श्री डालूराम पुत्र बिशना माली निवासी कुन्हाडी के खाते मे दर्ज रेकार्ड है तथा उक्त आवटित भूमि पर प्लाट काट कर अन्य व्यक्तियों को बेचान करना व कुछ भूमि खाली होना बताया है इस आधार पर आवंटी द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (जनरल कोलोनी कन्डीशस) 1955 की शर्त 17(1) का उल्लघंन किये जाने पर उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 27.03.62 को किया गया आवंटन निरस्त किया गया है । न्यायालय जिला कलक्टर (उपनिवेशन) कोटा के आदेश दिनांक 12.02.97 के विरूद्व प्रस्तुत अपील मा0राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 14.02.2002 से इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित की है कि आंवटी मृतक किशना के कायम मुकामान का सुनकर नियमानुसार निर्णय पारित करें । इस न्यायालय के पत्र क्रमांक:रीडर/एडीएम/15/1275 दिनांक 25.05.2015,1879 दि0 06.08.2015,3159 दि0 14.12.2015, अ0 शा0 पत्र क्रमांक 489 दि0 01.03.2016,2028 दि0 02.08.2018,444 दि0 21.02.2017,1274 दि0 04.07.2017,8 दि0 02.01.2018,539 दि0 26.06.2018,14 दि0 04.01.2019,769 दि0 08.08.2019 से लिखे जाने के उपरान्त भी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा आदिनांक तक आवंटी मृतक किशना के कायम मुकामान की सूचना नही भिजवाई है । अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि आवंटी मृतक किशना एवं कथित कायम मुकामान डालूराम (मृतक) के कायम मुकामान की जांच करके मृतक के सभी कायम मुकामान अंकित करते हुए सही पता अंकित करते हुए एवं विवादित आराजी हाल ख0 नं0 349 रकबा 0.25 हैक्टर की वर्तमान मौका रिपोर्ट संलग्न करते हुए पुनः नये सिरे से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें । मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार लाडपुरा को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो । अति0 जिला कलक्टर,, कोटा कोटा	